Online School Recognition Application Status

किसी भी समस्या या जानकारी के लिए 05223538777,18001800666 पर संपर्क करे।

Show 10 entries

Search:

SNo	District Name	School Name	Mobile No.	Application Type	Application Form No.	Class Type	Raised Query	Current Status	View Application	Instructions	Download
1	KANPUR DEHAT	RAINBOW PUBLIC SCHOOL	7408111444	Old Application(Renewal)	33-37	प्राइमरी स्तर (I - V)	0		Fill Application	Not Available	Not Available

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात

पत्रांक – / जू0 हा0 स्कूल मान्यता / 330/-05/ 2018 – 19 दिनांक 28-6-18

प्रबंधक,
रेनवो पब्लिक उच्च प्राइमरी स्कूल,
ग्राम असई पोस्ट बैरी सवाई, विकास खण्ड मैथा, कानपुर देहात।
द्वारा संचालित संस्था–

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं0 – 419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08–05–2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार तथा अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20.06.2018 को लिये गये निर्णय के आधार पर रेनवो पब्लिक उच्च प्राइमरी स्कूल, ग्राम असई पोस्ट बैरी सवाई, विकास खण्ड मैथा, कानपुर देहात को 2018–19 से तीन शैक्षिक सत्र हेतु कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1– विद्यालय का संचालन अग्निशमन का पूर्णता प्रमाण पत्र / स्थायी प्रमाण पत्र एवं वार्षिक नवीनीकरण प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये अन्यथा असुरक्षित भवन का उपयोग विद्यालय संचालन हेतु अवैधानिक होगा।

2– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता नहीं है।

3– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

4– विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समेह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा , उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

5– पैरा– 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा –12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिभूतियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

6– सोसाइटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

7– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा –15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

क. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

ख. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं करेगा।

ग. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

घ. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

ड. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।

च. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

छ. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

झ. अध्यापक स्वंय किसी को किसी निजी अंध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधर पर पाठयकम का पालन करेगा।

9 – विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं–

क्रम सं0	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधायें	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	2960 वर्ग फुट
2	कुल निर्मित क्षेत्र	2765 वर्ग फुट (दो मंजिल)
3	क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल	–
4	कक्षाओं की संख्या	10
5	प्राध्यापक – सह कार्यालय– सह भण्डारागार के लिये कक्ष	03
6	बालक / बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेयजल सुविधा	सबमर्सिबल उपलब्ध है।
8	बाधा रहित पहुंच	उपलब्ध है।
9	अध्यापक पठन सामग्री/ कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालयों की उपलब्धता	उपलब्ध है।

...ध्यापक या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी ।

...ाने पर सम्बन्धित का ... प्रयोग किया जाता है।

...किसी स्वयंसेवी संस्थाओं या ... के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

...किसी एजेन्सी के द्वारा या तत्समय प्रदान किये

...के लाभ के लिये नहीं प्रदान की गई है।

...विद्यालय के समस्त कार्यों की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा ... की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उसकी ...

...नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। ...लेखा परीक्षण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाये।

...विद्यालय की आवेदन मान्यता ... / अंग्रेजी माध्यम / 2018–19 ..... है।कृपया इसे नोट कर लें ।

...ों के क्रम किसी प्रकार का ...

...उसी स्थिति और सुविधा ... / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और ... / स्थानीय प्राधिकारी के ... को पालन कराने में ... सभी नियमों, शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या ... कमी को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

... में राजकीकरण के ... यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

...नियमावली के अनुसार अन्य ...

...माह 2018-19 ... विद्यालय से ... चार्ट, लेखा परीक्षा ... कोई तथ्य गायन अथवा सत्य द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो ... की दशा में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(सुमित्रा सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात।

...

...

...

कार्यालय,जिला बासक शिक्षा आधकारा,कानपुर दहात

पत्रॉक/मान्यता/ 33-37 /2015-16 दिनॉक 01/4/15

प्रबन्धक

रैनबो पब्लिक प्राथमिक स्कूल,

असई,पो0बेरीसवाई,

विकास खण्ड,सैथा कानपुर देहात

विषयः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11के उप नियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनॉक 13.08.2013 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मे रैनबो पब्लिक प्राथमिक स्कूल असई,पो0बेरीसवाई, विकास खण्ड सैथा कानपुर देहात को कक्षा नरसरी से कक्षा 05 तक (हिन्दी माध्यम)हेतु दिनॉक 01.04.2015से दिनॉक 31.03.2018 तक तीन वर्षो की अवधि के लिए औपबधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ।

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता /सम्बद्धता प्रदान करने की बाध्यतायें को विवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(संलग्नक -एक)और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक-दो)के उपबधों का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा एक में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालको प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा,परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।

4-प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12(2)के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।

5-समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जाँच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।

(क)बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर,

(ख)धर्म,जाति,अथवा नस्ल,जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर

7-विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा।

(क)किसी विद्यालय मे प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो)किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।

(तीन)किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है

(चार)प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा

(पाँच)अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन

(छः)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करता है और

(सात)अध्यापक निजी अध्यापन किया -कलापों के निमित स्वयं को नहीं लगायेगा।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9-विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विर्निदिष्ट किया गया है।

10-विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

11-विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(अधिनियम संख्या-21सन् 1860)के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

Nishtha
Manager
Rainbow Public Primary School
Asai Bairi Sawai, Ramabai Nagar

विवरण तैयार किये जाने चाहिए।प्रत्येक लेखा विवरण [illegible] जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14--आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता संबंधित कोड संख्या-2014-15(1)मार्च 2014(अंग्रेजी माध्यम)/के0डी0है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक का उद्धत करने

15--विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

16--समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17--विद्यालय प्रबन्ध न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किय गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18--संलग्न अनुलानक तीन के अनुसार अन्य शर्तें

(महेन्द्र कुमार कनौजिया)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात

पत्रसं0 /मान्यता / /2015-2016 तद्दिनांक

1--शिक्षा निदेशक(बे0)उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2--सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3--मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0)कानपुर मण्डल कानपुर।
4--जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
5--जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
6--जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
7--खण्ड शिक्षा अधिकारी, मैथा, कानपुर देहात।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात

Manager
Rainbow Public Primary School